बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

स०आ०सं०:–2/अ0प्र0–9–10/2015 1088 /पटना, दिनांक :– 27.1.22

लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन संख्या–550 की कंडिका–5.2.3 (वर्ष–2014–15) में की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री रामचन्द्र गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, सीतामढी के पदस्थापन काल में अयोग्य संवेदक को अनियमित रूप से संविदा प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन निराशाजनक रहने के आरोपों पर विभागीय संकल्प सं0–2216 दिनांक 08.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 252 अनु0 दिनांक 16.01.2018 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री गुप्ता के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। इसी मामले में अन्य कार्यपालक अभिंयताओं के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में आरोप को अप्रमाणित पाये जाने के आलोक में मामले में अंतिम निर्णय हेतु उपस्थापित संचिका में सक्षम प्राधिकार द्वारा मामले को पुनःपरीक्षण हेतु लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थापित किये जाने का आदेश दिया गया। इस आलोक में विभागीय पत्रांक 2322 अनु0 दिनांक 14.09.2018 द्वारा बिहार विधान सभा सचिवालय (लोक लेखा समिति) को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, किन्तु लोक लेखा समिति का निर्णय अबतक अप्राप्त है। फलस्वरूप श्री गुप्ता के विरूद्ध प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

3. इस बीच श्री गुप्ता के विरूद्ध एक अन्य मामले यथा अप्रत्यानुपातिक धनार्जन में दर्ज आर्थिक अपराध थाना काण्ड सं0–26/13 दिनांक 08.07.2013 के आलोक में संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अधिसूचना सं0–412 दिनांक 22.01.2020 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। फलस्वरूप श्री गुप्ता सरकारी सेवक नहीं रह गये तथा नियोक्ता–नियोजित का संबंध समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में सरकारी सेवकों पर लागू नियमों के तहत श्री गुप्ता, बर्खास्त कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री गुप्ता के विरूद्ध प्रश्नगत मामले की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चूँकि बर्खास्त कर्मी सरकारी सेवक नहीं रह जाते हैं इसलिए उनके विरूद्ध संगत नियमों के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है, परन्तु भविष्य में श्री गुप्ता के बर्खास्तगी आदेश को किसी न्यायालय/सक्षम प्राधिकार द्वारा निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप श्री गुप्ता का सरकारी सेवा में पुनःस्थापन अथवा सरकारी सेवक का लाभ

अनुमान्य होने पर श्री गुप्ता के विरूद्ध संगत नियमों के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। तबतक इस मामले को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री रामचन्द्र गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता का सेवा से बर्खास्तगी के फलस्वरूप नियोक्ता–नियोजित संबंध समाप्त हो जाने के कारण इनके विरूद्ध प्रश्नगत मामले में कार्रवाई को इस शर्त्त के साथ स्थगित किया जाता है कि श्री गुप्ता को संसुचित सेवा से बर्खास्तगी का दंडादेश भविष्य में किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द किये जाने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में इस मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई पुनर्जीवित करते हुए की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1.6.22

(कृष्ण मोहन सिंह)

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–9–10/2015 1088 /पटना, दिनांक :– 27.1.22

प्रतिलिपि :–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागींय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री रामचन्द्र गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढी, पत्राचार का पताः–श्री रामचन्द्र गुप्ता, फ्लैट नं0–402, शैल रीजेन्सी, आर्य समाज मंदिर रोड, आर0पी0एस0 मोड़, दानापुर, पटना–801503, मो0–8210878597 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.6.22

उप सचिव